# निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना पर मिलेगी 50 करोड़ की सब्सिडी

## योगी कैबिनेट : निवेशकों को शत-प्रतिशत एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति होगी

अमर उजाला ब्यूरो

**लखनऊ।** प्रदेश में 100 एकड़ से अधिक भूमि पर निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना पर 50 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। ऐसे निवेशकों को स्टांप ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट के साथ पूंजीगत निवेश पर 25 फीसदी की सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में उप्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 को मंजूरी दी गई।

औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना विभाग के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि नई औद्योगिक नीति में विदेशी एवं स्वदेशी निवेशकों के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं और प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। निवेशकों को प्रोत्साहन सब्सिडी के लिए तीन विकल्प दिए जाएंगे। इनमें पहली पूंजीगत सब्सिडी, दूसरी शुद्ध एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति और तीसरी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन टॉपअप सब्सिडी है। नंदी ने बताया कि निवेश के आधार पर 45 करोड़ रुपये की सीमा तक बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 20 एकड़ या उससे अधिक भूमि पर, मध्यांचल और पश्चिमांचल में 30 एकड़ या उससे अधिक भूमि पर निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करने पर 25 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। जबकि सौ एकड़ से अधिक पर सब्सिडी बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दी जाएगी।

### चार सेक्टर में बटेंगे उद्यमी

| श्रेणी | न्यूनतम निवेश |
|---|---|
| वृहद | 50 से 200 करोड़ |
| मेगा | 200 से 500 करोड़ |
| सुपर मेगा | 500 से 3000 करोड़ |
| अल्ट्रा मेगा | 3000 करोड़ से ज्यादा |

इन पार्कों में रहने वाले लोगों के लिए 25 करोड़ रुपये की लागत तक डॉरमेट्री और हॉस्टल स्थापित करने पर 25 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। पार्क विकसित करने के लिए कुल प्रस्तावित भूमि के 25 प्रतिशत के अधिग्रहण का लाइसेंस दिया जाएगा। लाइसेंस क्षेत्र में विकासकर्ता को विकास के लिए अधिकार दिए जाएंगे।

### लखनऊ ग्रामीण के भी थाने कमिश्नरी में

**सरकार ने लखनऊ, कानपुर और वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के पुनर्गठन का फैसला किया है। इसके तहत तीनों जिलों में ग्रामीण जिला व्यवस्था को समाप्त कर उन्हें पुलिस कमिश्नरेट में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।**

- यह निर्णय ग्रामीण थानों के संचालन में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए किया गया है। इससे संबंधित गृह विभाग के प्रस्ताव को बृहस्पतिवार को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई। इस फैसले से लखनऊ के छह ग्रामीण थाने कमिश्नरेट में शामिल होंगे।

## 30 हजार करोड़ के निवेश से प्रदेश में बनेंगे आठ डाटा सेंटर पार्क

### डाटा सेंटर नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी

**प्रदेश में 30 हजार करोड़ के निवेश से 900 मेगावॉट क्षमता के आठ डाटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे। फरवरी में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेश को ध्यान में रखकर डाटा सेंटर नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी दी है।**

- नीति-2021 में 6 डाटा सेंटर पार्क व एक डाटा सेंटर यूनिट के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें करीब 20 हजार करोड़ का निवेश और 636 मेगावॉट क्षमता के डाटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ऐसे मामले जिनमें नीति की अवधि लेटर ऑफ कंफर्ट जारी होने की तिथि से 3 वर्ष में समाप्त हो रही है, उन्हें डाटा सेंटर पार्क में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए कम से कम तीन वर्ष का समय दिया जाएगा। निवेशकों को निवेश प्रस्ताव की पावती पत्र जारी होने के बाद से ही गैर वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे।

### बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के अब एक महानिदेशक

महानिदेशक स्कूल शिक्षा के नियंत्रण में अब बेसिक के साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग के भी सभी निदेशालय रहेंगे। हालांकि शासन स्तर पर दोनों विभाग अलग-अलग ही रहेंगे। कैबिनेट ने भविष्य में महानिदेशक स्कूल शिक्षा (डीजीएसई) के पद सृजन, अधिकार व कर्तव्य के निर्णय के संदर्भ में किसी संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। **...कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले : पेज 2-3**